न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर ऐक्ट/अपर जिला न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–5,फैजाबाद।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः–6047/2022
सी.एन.आर.न.यू.पी.एफ.जेड. 010065792022

दुर्गाशरण मिश्रा पुत्र नन्द किशोर मिश्रा उर्फ नन्दू मिश्रा निवासी बेलझरिया थाना बिसवा जिला सीतापुर

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश .....विपक्षी

मु.अ.सं. :–0185/2022
धाराः– 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986
थाना :–तारून जिला फैजाबाद

18.10.2022

आवेदक/अभियुक्त दुर्गाशरण मिश्रा द्वारा मु.अ.सं. 185/2022 अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना तारून जिला फैजाबाद के प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के प्रार्थना पत्र के साथ अभियुक्त के पैरोकार पूनम का शपथ पत्र संलग्न है कि यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र है इस प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में लम्बित अथवा निर्णीत नही है। प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र कस्टडी वारंट न बने होने के कारण दिनांक 24.8.22 को तथा द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र कस्टडी वारंट न बने होने के कारण दिनांक 30.9.22 को नाटप्रेस किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है तथा उपरोक्त अपराध में असत्य कथनो के आधार पर फर्जी फसाया गया है। प्रार्थी को पुलिस द्वारा असत्य कथनो के आधार पर मु0अ0स0–35/22 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0स0 थाना तारून जनपद अयोध्या के मुकदमें में फर्जी फसाया गया तथा अत्यधिक दिनो तक निरूद्ध रखे जाने के उददेश्य से उपरोक्त गैगेस्टर मुकदमें की बढोत्तरी कर दी गयी हैं। प्रार्थी का न तो कोई आपराधिक गैंग है और न ही वह किसी आपराधिक गैंग में शामिल होकर अपने आर्थिक भौतिक लाभ के लिये भा0द0स0 के अध्याय 16 में अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है। मात्र एक अपराध को अपराधी मानकर गिरोहबंद अधिनियम का मुकदमा चलाने के लिये आनन फानन में जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदित करा लिया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध कथित अपराध का कोई माकूल शहादत अभियोजन के पास नही है।

विद्वान विशेष अभियोजक (गैगेस्टर) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की याचना की गयी है। गैंगचार्ट एवं केस डायरी प्राप्त है।

मैने उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा थाने की आख्या व केस डायरी का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के सम्यक अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त दुर्गाशरण मिश्रा अपने गैंग का सक्रिय सदस्य है एवं अन्य सक्रिय सदस्य एवं गैंग लीडर के साथ मिलकर अपने गैंग के आर्थिक भौतिक एवं दुनियाबी लाभ अर्जित करने के उददेश्य से धोखाधडी आदि के कृत्य में संलिप्त रहा है। अभियुक्त द्वारा आर्थिक भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के उददेश्य से बेरोजगार युवको से फर्जी तरीके से खादय निगम से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेकर फर्जी/कूटरचित ज्वाइनिंग लेटर जारी कर अवैध रूप से बने गोदाम में फर्जी ट्रेनिंग देने जैसा अपराध करते है। कुल नौ युवको से नौकरी दिलाने के नाम पर कुल नौ लाख रूपयें ले लिया है। अभियुक्त व अभियुक्त के साथियो के उक्त आपराधिक कृत्य से जनता का कोई व्यक्ति गवाही देने या सूचना देने का साहस नही कर पाता है। इन लोगो के कृत्य से समाज में भय व आतंक व्याप्त है। गैंग के साथ मिलकर आर्थिक व अनुचित दुनियाबी लाभ पाने के लिये भा0द0स0 के अध्याय 16,17,22 में वर्णित अपराधो के करने में संलिप्त है।

अभियुक्त दुर्गाशरण मिश्रा के विरूद्ध उक्त मुकदमें के अतिरिक्त एक अन्य मुकदमा मु0अ0स0 35/22 अंतर्गत 419,420,467,468,471 भा0द0स0 थाना तारून जनपद फैजाबाद में दर्ज है और उपरोक्त प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका

है। यदि ऐसे अपराधी को जमानत पर छोडा गया तो पुनः ऐसे अपराध को अंजाम दे सकते हैं।

उ0प्र0 गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत किसी अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण उक्त अधिनियम की धारा 19(4) के अनुसार निस्तारित किया जाना अपेक्षित होता है। धारा 19(4) उ0प्र0 गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अनुसार अभियुक्त को न्यायालय से जमानत तभी प्राप्त हो सकती है जब न्यायालय की केस डायरी या पुलिस रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात तथा लोक अभियोजक को सुनने के उपरांत अभियुक्त द्वारा प्रथम दृष्टया ऐसा कोई अपराध न किया गया हो या जमानत पर रहते हुये उसके द्वारा कोई अपराध करने की कोई संभावना नही है।

उ0प्र0गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत वर्णित परिस्थितियों तथा पत्रावली में संलग्न आरोप पत्र मय केस डायरी के अवलोकन से इस न्यायालय का मत है कि अभियुक्त के विरूद्ध मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये वगैर प्रकरण में प्रथम दृष्टया अपराध होना प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व मूल अपराध की प्रकृति पर विचार करने के उपरान्त तथा धारा 19(4)उ0प्र0 गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अर्न्तगत वर्णित परिस्थितियों में न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्त के जमानत स्वीकार करने का उपयुक्त मामला नहीं है अतएव जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त दुर्गाशरण मिश्रा पुत्र नन्द किशोर मिश्रा उर्फ नन्दू मिश्रा निवासी बेलझरिया थाना बिसवा जिला सीतापुर का जमानत प्रार्थनापत्र थाना तारून जिला फैजाबाद के मु.अ.सं. 185/2022 अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 जिला फैजाबाद में निरस्त किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर ऐक्ट/
अपर जिला न्यायाधीश,कोर्ट सं.5,
फैजाबाद।

Digitally signed by Abhishek Kumar Bagaria
Date: 2022.10.31 11:16:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court